

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14. स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गयी है, -
क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण
किया है (हां/नहीं) यदि हो तो निरीक्षण नोट
के रूप में संलग्न करें।

नहीं।

15. क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग ख में दी
गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझाव
में सहमत हैं।

सहमत हैं।

16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में
सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के
साथ विशेष सिफारसें।

- प्रभागीय वनाधिकारी झाँसी की संस्तुति के आधार
पर प्रस्ताव को वन संरक्षण अधिनियम 1980 में
निहित प्रावधानों के अन्तर्गत स्वीकृत किया जाना
की संस्तुति की जाती है।

तिथि-

स्थान-

28/1/2008
झाँसी

हस्ताक्षर

नाम व पदनाम

सरकारी मुहर

(पी०पी० सिंह)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक

सरकारी मुहर देलखण्ड वृत्त उ०प्र०, झाँसी